अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.

बनवारीलाल पुत्र चेतनराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 25 गांधी कॉलोनी, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. किशनलाल पुत्र चेतनराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 25 गांधी कॉलोनी, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. बीरबलसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति जाट निवासी ग्राम ढिंगी तहसील तारानगर जिला चूरू (राज.) हाल निवासी सैनिक बस्ती, पंखा रोड़, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादीगण–

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट</u>
मुकदमा नं. 15 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब व श्री सन्दीप वर्मा एवं श्री विनोदकुमार दनेवा एडवोकेट्स प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः–

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा वादी अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 1059 तादादी 5.3115 हैक्टेयर रोही चूरू में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता हैः–

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म भूमि
1.	बनवारीलाल पुत्र चेतनराम जाति माली निवासी चूरू खातेदार राहिन एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा चूरू	1059 मि.	1.2900	बारानी
2.	किशनलाल पुत्र चेतनराम जाति माली निवासी चूरू खातेदार	1059 मि.	1.2899	बारानी
3.	बीरबलसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति जाट निवासी ढिंगी तहसील तारानगर हाल सैनिक बस्ती चूरू खातेदार	1059 मि.	2.6557	बारानी
4.	रास्ता	1059 मि.	0.0759	गै.मु. रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तुत नक्शा ट्रेस भविष्य में डिक्री का भाग रहेगा। जिन खातेदारों का हिस्सा बैंकों के रहन दर्ज है, वह यथावत रहन रहेगा। रास्ता राज्य सरकार के खाते में गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि वादी बनवारीलाल व प्रतिवादी सं. 1 किशनलाल के हिस्से में से बराबर–बराबर कम होगी। तहसीलदार, चूरू डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें एवं नक्शे में तरमीम करते समय ख.नं. 1059 की पश्चिमी सीमा के पास से जा रहे रास्ते का फ्रण्ट वादी बनवारीलाल एवं प्रतिवादी सं. 2 बीरबलसिंह का 1/2 – 1/2 भाग रखते हुए नक्शे में तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01 माह अप्रेल सन् 2021 को जारी की गई।

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:52 IST
Reason: SelfAttested